



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net, E_mail: bsgmadhypradesh@gmail.com Phone ☐☐: 2661263, Fax: 2737446

ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 वार्षिक समीक्षा बैठक दिनांक 22 से 24 मार्च 2014

कार्यवाही विवरण

1. युवा कार्यक्रम कार्यक्रम :-

1. संभाग एवं जिला स्तर के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई । जिसमें संभाग ने तथा जिलों में जो कार्यक्रम आयोजित नहीं हुये है उसकी जानकारी निम्नानुसार है-

अ- संभाग स्तरीय कार्यक्रम :-

भोपाल संभाग-1 स्काउटर-गाइडर सेमीनार, 2. निपुण रोवर-रेंजर प्रशिक्षण शिविर, 3. तृतीय चरण-स्वर्णपंख जांच शिविर, 4. राज्यपुरस्कार स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर ।

सागर संभाग- 1 निपुण रोवर-रेंजर प्रशिक्षण, 2. तृतीयचरण-स्वर्णपंख जांच शिविर, 3. राज्यपुरस्कार स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर, 4. जिला अधिकारियों की बैठक ।

इन्दौर संभाग-1 प्रवीण रोवर-रेंजर जांच शिविर, 2. तृतीय सोपान स्काउट-गाइड जांच शिविर, (झाबुआ, बडवानी, अलीराजपुर, खरगौन), 3. तृतीयचरण-स्वर्ण पंख जांच शिविर, 4. प्रधानमंत्री-उपराष्ट्रपति शीलड स्काउटर-गाइडर की बैठक ।

होशंगाबाद संभाग-1 अभिरूचि केन्द्र संचालकों की बैठक, 2 संभागीय समीक्षा बैठक, 3 जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक, 4. प्रधानमंत्री-उपराष्ट्रपति शीलड स्काउटर-गाइडर की बैठक

उज्जैन संभाग- 1 प्रधानमंत्री-उपराष्ट्रपति शीलड स्काउटर-गाइडर की बैठक, 2. स्काउटर-गाइडर सेमीनार, 3 राज्यपुरस्कार स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर ।

जबलपुर संभाग- 1 ब्लाक अधिकारियों की बैठक, 2. तृतीयचरण-स्वर्णपंख जांच शिविर, 3. राज्यपुरस्कार स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर

रीवा संभाग- 1 प्रवीण रोवर-रेंजर जांच शिविर, 2. तृतीयचरण-स्वर्णपंख जांच शिविर, 3. प्रधानमंत्री- उपराष्ट्रपति शीलड स्काउटर-गाइडर की बैठक ।

ग्वालियर संभाग- 1 ब्लाक कमिश्नर की बैठक, 2. प्रधानमंत्री-उपराष्ट्रपति शीलड स्काउटर-गाइडर की बैठक, 3. राज्यपुरस्कार स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर ।

शहडोल संभाग- 1. तृतीयचरण-स्वर्णपंख जांच शिविर, 2. प्रवीण रोवर-रेंजर जांच शिविर, 3 राज्यपुरस्कार प्रशिक्षण शिविर ।

निर्णय-1 सभी ए0एस0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि एडवांसमेन्ट से संबंधित जो कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित नहीं कियेगये है आप उसके लिये जिम्मेदार है । आगामी वर्ष 2014-15 में इन कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से आयोजित करवायें ।

2. संभाग स्तर पर जो कार्यक्रम नहीं हुये है इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देवें समय-सीमा-25 अप्रैल 2014 तक ।

कार्यवाही एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

ब- जिला स्तरीय कार्यक्रम :-जिला स्तरीय युवा कार्यक्रम :- जिला राजगढ़, गुना, बैतूल, हरदा, इन्दौर, झाबुआ, धार, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर, खण्डवा, जबलपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह, नीमच, मन्दसौर, रतलाम, शाजापुर, देवास की जानकारी ए0एस0ओ0सी0 द्वारा नहीं दी गई है । शेष जिलो से जानकारी प्राप्त है ।

निर्णय :-ए0एस0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि इन जिला की जानकारी प्राप्त कर 15 अप्रैल 2014 तक राज्य मुख्यालय को भेजे ।

स- राज्य स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की समीक्षा की गई- जिसमें जिला राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, बैतूल, हरदा, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी,

मण्डला, रीवा, दमोह, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया, डिडौरी, रतलाम, मन्दसौर नीमच में प्रतिभागिता कम रही ।

निर्णय :- 1. पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि जिन जिलों में डी0ओ0सी0 नहीं है उन जिलों का कार्य ए0एस0ओ0सी0 देखेंगे । उन जिलों में जाकर परिपत्र जारी करावेंगे व कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं एडवांसमेन्ट करवायेंगे ।

2. ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि इस सत्र में यदि जिलों की प्रतिभागिता राज्य स्तर पर कम होती है तो उसके लिये ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 जिम्मेदार होंगे । उक्त जिलों की सत्र 2013-2014 में प्रतिभागिता कम क्यों रही 20 अप्रैल 2014 तक स्पष्टीकरण देंगे ।

द- राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की समीक्षा की गई-

1. जिसमें भोपाल संभाग ने राष्ट्र स्तरीय ट्रेकिंग कम इनवायरमेन्ट अवारनेश पिण्डारी ग्रेशियर में कोटे के अनुसार दो रोवर कम भेजे गये हैं ।
2. हेमकोर्स दिल्ली हेतु सभी संभाग को एक रोवर एक रेंजर का कोटा दिया गया था जिसमें इन्दौर सागर संभाग को छोड़कर शेष संभाग ने भाग नहीं लिया ।
3. ट्रेकिंग कम इनवायरमेन्ट जम्मू कश्मिर होशंगाबाद को दो रोवर दो रेंजर का कोटा दिया गया था, जिसकी प्रतिभागिता नहीं करायी गई एवं सूचना भी राज्य 0मु0 को नहीं दी गई ।

निर्णय :- ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि -

1. राष्ट्रीय कार्यक्रम में यदि कोई संभाग प्रतिभागिता नहीं करता है और उसकी सूचना समय से पहले राज्य मुख्यालय को नहीं करता है तो इसके लिये ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 जिम्मेदार होंगे ।
2. राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में जिले व संभाग की प्रतिभागिता होने पर राज्य मुख्यालय को लिखित में प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें । बिन्दु द-1 का ए0एस0ओ0सी0 भोपाल, बिन्दु द-2 का ए0एस0ओ0सी0 उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, शहडोल, रीवा, जबलपुर, मुरैना, होशंगाबाद तथा बिन्दु द-3 का ए0एस0ओ0सी0 होशंगाबाद स्पष्टीकरण दिनांक 20 अप्रैल 2014 तक राज्य मुख्यालय को भेजेगें ।
3. ए0एस0ओ0सी0 इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 20 अप्रैल 2014 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे

ई- 20 दल के सूची एवं एडवांसमेन्ट जानकारी

1. निम्न जिलों से सूची प्राप्त नहीं हुयी है अलीराजपुर, बुरहानपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, देवास, सतना ।
2. निम्न जिलों से एडवांसमेन्ट की जानकारी से प्राप्त हुई है । उज्जैन, विदिशा, टीकमगढ़, सिवनी, श्योपुर, सीधी, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, भिण्ड, अशोकनगर, सीहोर, खण्डवा, ग्वालियर शेष जिलों से अप्राप्त है

निर्णय :- 1. शेष जिले जहाँ से आज तक 20 दल की सूची प्राप्त नहीं हुई संबंधित ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 स्पष्टीकरण 20 अप्रैल 2014 तक प्रस्तुत करेंगे ।

2. इस सत्र में चयनित 20 दलों के ही स्काउट-गाइड, कब-बुलबुल, रोवर-रेंजर भविष्य में प्रत्येक स्तर की गतिविधियों में भाग लेंगे एवं उनका एडवांसमेन्ट भी अनिवार्य रूप से कराया जावे, भाग लेने वालों की सूची राज्य मुख्यालय को भेजेगें । आपके द्वारा प्रेषित 20 दल की सूची से मिलान किया जावेगा । प्रत्येक माह में ए0एस0ओ0सी0 मानिट्रिकंग करेंगे और पृथक से इसका प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को अपने मासिक कार्य प्रतिवेदन के साथ भेजेगें ।

कार्यवाही एस0ओ0सी0 / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

2 युवा एडवांसमेन्ट :-

अ- जिला स्तरीय युवा एडवांसमेन्ट -

द्वितीय सोपान जांच शिविर - द्वितीय सोपान जांच शिविर निम्न जिलों में आयोजित नहीं हुये-राजगढ़,, हरदा, बुरहानपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, रीवा सिंगरौली ।

द्वितीयचरण-रजतपंख जांच शिविर - भोपाल, रायसेन, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, ग्वालियर, धार, छिंदवाडा, कटनी, सतना, रीवा दमोह, टीकमगढ़, सागर, पन्ना अनुपपुर, डिडौरी, उज्जैन, देवास को छोड़कर शेष जिलों में नहीं हुये है ।

प्रवीण रोवर-रेंजर प्रशिक्षण शिविर - जिला ग्वालियर अशोकनगर, गुना, कटनी, सागर, डिंडौरी, में आयोजित हुये शेष जिलों में नहीं हुये ।

पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण शिविर - पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण शिविर निम्न जिलों में नहीं हुये है- जिला राजगढ, दतिया, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, जबलपुर, सिवनी, मण्डला, सिंगरौली, पन्ना, छत्तरपुर, शहडोल, उमरिया देवास, मन्दसौर, नीमच ।

ब- संभाग स्तरीय युवा एडवांसमेन्ट -

तृतीय चरण-स्वण पंख जांच शिविर - संभाग भोपाल रीवा सागर में आयोजित नहीं हुये ।

पवीण रोवर-रेंजर जांच शिविर - संभाग इन्दौर, रीवा, शहडोल,

राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर - संभाग मुरैना को छोड़कर शेष संभागों में आयोजित नहीं हुई ।

तृतीय सोपान जांच शिविर - तृतीय सोपान जांच शिविर में जिला राजगढ, श्योपुर, बैतूल, हरदाख झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खरगौन, बडवानी, बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह, उमरिया, देवास, शाजापुर, मन्दसौर, नीमच के स्काउट-गाइड की प्रतिभागिता नहीं हुई है ।

निर्देश- ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि संभाग / जिला स्तरीय युवा एडवांसमेन्ट शिविर जिले में इस सत्र में अनिवार्य रूप आयोजित किये जावे यदि शिविर आयोजित नहीं होते है जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा एवं जिन संभाग / जिलों में युवा एडवांसमेन्ट नहीं हो पाये के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 20 अप्रैल 2014 तक प्रस्तुत करें ।

कार्यवाही एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

निर्देश :-

- 1 सत्र 2014-2015 प्रधानमंत्री / उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता पंजीयन आवेदन फार्म दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक राज्य मुख्यालय भोपाल को अनिवार्य रूप से भेजेगें ।
- 2 स्वतंत्र बैज परीक्षकों की सूची दिये गये निर्धारित प्रोफार्म में दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक अनिवार्य रूप से भेजे ।
- 3 राष्ट्रपति पंजीयन फार्म दिनांक दिनांक 30 मई 2014 तक ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 परीक्षण कर परीक्षण का प्रमाणिकरण संलग्न कर भेजे ।
- 4 सत्र 2013-2014 की जिला प्रोफाईल निर्धारित फार्मेट में दिनांक 15 अप्रैल 2014 तक अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय को भेजेगें ।
- 5 मासिक कार्य योजना एवं मासिक कार्य प्रतिवेदन समीक्षा बैठक दिनांक 22 से 24 मार्च 2014 में दिये गये प्रारूप में मान्य किया जावेगा ।
- 6 समस्त ए0एस0ओ0सी0 संभाग स्तर के वार्षिक कार्यक्रम में तैय समय सीमा में आयोजित कर विस्तृत प्रतिवेदन मय 50 प्रतिशत राशि के साथ राज्य मुख्यालय भेजेगें ।
- 7 समस्त डी0ओ0सी0 जिला स्तर के कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा में वार्षिक कार्यक्रमानुसार अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराकर विस्तृत प्रतिवेदन मय 50 प्रतिशत राशि के साथ राज्य मुख्यालय भेजेगें ।
- 8 विभिन्न समितियों की बैठकें यथासमय अनिवार्य रूप से करायेगें एवं प्रत्येक बैठक की कार्यवाही विवरण राज्य मुख्यालय को भेजेगें ।
- 9 लक्ष्य अनुसार राज्य स्तर की गतिविधियों में पूर्ति कराना आवश्यक होगा ।
- 10 प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना सत्र 2014-2015 के अनुसार कब-बुलबुल, स्काउट-गाइड, रोवर- रेंजर का एडवांसमेन्ट प्रत्येक स्तर पर कराने का दायित्व ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 का होगा इस पर विशेष ध्यान दिया जावे ।

कार्यवाही एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

2. वयस्क प्रशिक्षण (स्काउट) :-

1. **विषय** – सामान्य सूचना शिविर एवं ब्लाक स्तर पर जिलों में राजगढ़, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बालाघाट, मण्डला, सतना, सीधी, दमोह, शहडोल, निर्धारित लक्ष्य से अधिक पूर्ती की गई शेष जिलों में राजगढ़, बुरहानपुर, मंदसौर, जबलपुर में उक्त शिविर आयोजित नहीं हो पाये।

निर्णय – जिन जिलों में सामान्य सूचना शिविर नहीं हुये वर्ष 2013-14 के लक्ष्य की पूर्ती वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के साथ ही पूर्ती के साथ ही पूर्ती की जाये, क्योंकि सामान्य सूचना शिविर में प्रतिभागिता नहीं होने पर बेसिक कब मास्टर / स्काउट मास्टर संमिलित नहीं हो सकेगें शेष जिलों की डी.ओ. सी./ए.एस.ओ.सी. को निर्देश दिये गये कि 2014-15 में कम से कम 25 प्रतिभागी अनिवार्य रूप से विकास खण्ड स्तर पर सामान्य सूचना प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागिता कराए। जिन जिलों के विकास खण्डों में उक्त शिविर नहीं हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त। 30 जुलाई 2014 तक सामान्य सूचना प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कर प्रतिवेदन कर राज्य मुख्यालय भेजे। जी.आई.सी. कोर्स की अनुमति ए.एस.ओ.सी. से लेकर जिले द्वारा किया जावेगा।

कार्यवाही एसटीसी/ए0एस0ओ0सी0/डीईओ/एसी/डी0ओसी/डीटीसी

2 बेसिक कब मास्टर वर्ष 2013-14 की जिलेवार प्रतिभागिता की स्थिति :-

भोपाल संभाग- भोपाल-0, विदिशा-02, सीहोर-02, रायसेन-04, राजगढ़-0,

होशंगाबाद संभाग- होशंगाबाद-01, बैतूल-01, हरदा-01,

इन्दौर संभाग- इन्दौर-0, धार-02, झाबुआ-0, बड़वानी-0, बुरहानपुर-0, खरगौन-0, अलीराजपुर-0, खण्डवा-0,

उज्जैन संभाग - उज्जैन-06, नीमच-01, रतलाम-0, मंदसौर-0, शाजापुर-0, देवास-14,

ग्वालियर संभाग - ग्वालियर-07, शिवपुरी-01, गुना-02, अशोकनगर-03, दतिया-02

मुरैना संभाग - मुरैना-07, श्योपुर-09, भिण्ड-02

सागर संभाग - सागर-02, दमोह-01, पन्ना-04, छतरपुर-01, टीकमगढ़-0

रीवा संभाग - रीवा 04, सिंगरौली 02, सीधी 01, सतना 01

शहडोल संभाग - शहडोल 03, अनूपपुर 03, उमरिया 0, डिंडोरी 0

जबलपुर संभाग- जबलपुर-0, कटनी-03, बालाघाट-02, सिवनी-03, मण्डला-0, छिन्दवाडा-03, नरसिंहपुर- 0

निर्णय :- निम्न जिलों में बेसिक कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर सामान्य एवं आर.एस.के. से प्रतिभागिता नहीं हुई प्रतिभागिता नहीं होने का कारण पूछा गया किन्तु ए.एस.ओ.सी.एवं डी.ओ.सी.द्वारा कहा गया कि हम ए.सी.एवं डी.ओ.से आदेश पारित कराये थे किन्तु शिक्षक उपस्थित नहीं हुये। बैठक में निर्देश दिये गये कि आदेश प्रसारित काराया जाना ही पर्याप्त नहीं था चयनित शिक्षकों व सस्था प्रधानों से भी चर्चा की जानी थी किन्तु, येसा नहीं किया गया। इस कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण पत्र भी भेजा गया किन्तु आपके द्वारा भूमक जानकारी भेजी गई।

निर्देश :- निर्देश दिये गये कि वर्ष 2013-14 के लक्ष्य की पूर्ती के लिये वर्ष 2014-15 के लक्ष्य में सम्मिलित कर रणनीति तैयार कर भेजे। समय सीमा - 28.4.2014

कार्यवाही ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी./एस.टी.सी.एस.

3 एडवांस कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2013-14 की जिलेवार प्रतिभागिता की स्थिति

भोपाल संभाग - भोपाल 01, विदिशा 0, सीहोर 0, रायसेन 0, राजगढ़ 0,

होशंगाबाद संभाग - होशंगाबाद 0, बैतूल 0, हरदा 0,

इन्दौर संभाग - इन्दौर 0, धार 0, झाबुआ 01, बड़वानी 0, बुरहानपुर 0, खरगौन 0, अलीराजपुर 0, खण्डवा 0,

उज्जैन संभाग - उज्जैन 0, नीमच 0, रतलाम 0, मंदसौर 0, शाजापुर 0, देवास 0,

ग्वालियर संभाग - ग्वालियर 01, शिवपुरी 0, गुना 01, अशोकनगर 0, दतिया 0

मुरैना संभाग - मुरैना 02, श्योपुर 01, भिण्ड 03

सागर संभाग - सागर 01, दमोह 0, पन्ना 01, छतरपुर 0, टीकमगढ़ 0

रीवा संभाग - रीवा 01, सिंगरौली 02, सीधी 01, सतना 0

शहडोल संभाग - शहडोल 0, अनूपपुर 0, उमरिया 0, डिंडोरी 0

जबलपुर –जबलपुर–0, कटनी 0, बालाघाट 01, सिवनी 0, मण्डला 0, छिन्दवाडा 0, नरसिंहपुर 0
निर्णय :-1. संभाग के जिन जिलों से प्रतिभागिता नहीं हुई अपने बचाव के लिये भूमक जानकारी दी गई जबकि उक्त प्रशिक्षण शिविर सामान्य / आर.एस.के. / अनुसूचित जाति / आवि. के सौजन्य से आयोजित किये गये थे जिसमें आर.एस.के के प्रतिभागियों को निशुल्क आतिथ्य / आवागमन मार्ग व्यय / सौ रूपये मूल्य का साहित्य वितरित किया जाना था । आर.एस.के.द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग नहीं हो पाया ।

निर्देश – निर्देश दिये गये कि वर्ष 2013–14 के लक्ष्य की पूर्ती के लिये वर्ष 2014–15 के लक्ष्य में सम्मिलित कर रणनीति तैयार कर भेजे । यदि लक्ष्य की पूर्ती नहीं होती तो एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. संबंधितों की होगी। समय सीमा – 28 अप्रैल 2014 तक ।

कार्यवाही कौन करेगा ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. /एस.टी.सी.

4. बेसिक रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2013– 14 की जिलेवार प्रतिभागिता की स्थिति :-

भोपाल संभाग – भोपाल 02, विदिशा 06, सीहोर 02, रायसेन 03, राजगढ़ 02,

होशंगाबाद संभाग – होशंगाबाद 0, बैतूल 01, हरदा 0,

इन्दौर संभाग – इन्दौर 0, धार 0, झाबुआ 0, बड़वानी 01, बुरहानपुर 0, खरगौन 0, अलीराजपुर 0, खण्डवा 0,

उज्जैन संभाग – उज्जैन 0, नीमच 03, रतलाम 0, मंदसौर 0, शाजापुर 01, देवास 0,

ग्वालियर संभाग – ग्वालियर 0, शिवपुरी 03, गुना 01, अशोकनगर 01, दतिया 0

मुरैना संभाग – मुरैना 02, श्योपुर 0, भिण्ड 02

सागर संभाग – सागर 09, दमोह 04, पन्ना 0, छतरपुर 11, टीकमगढ़ 01

रीवा संभाग – रीवा 0, सिंगरौली 0, सीधी 0, सतना 0

शहडोल संभाग – शहडोल 0, अनूपपुर 0, उमरिया 03, डिंडोरी 0

जबलपुर – जबलपुर–0, कटनी 02, बालाघाट 0, सिवनी 0, मण्डला 0, छिन्दवाडा 02, नरसिंहपुर 0

निर्णय :- बेसिक रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर में इन्दौर संभाग– इन्दौर 0, धार 0, झाबुआ 0,,

बुरहानपुर–0, खरगौन 0, अलीराजपुर 0, खण्डवा 0, – उज्जैन 0, नीमच 03, रतलाम 0, मंदसौर 0, शाजापुर 01, देवास 0, ग्वालियर 0, दतिया 0, श्योपुर 0, पन्ना 0, रीवा 0, सिंगरौली 0, सीधी 0, सतना 0 शहडोल 0, अनूपपुर 0, डिंडोरी 0 तथा अन्य जिलों से भी निर्धारित कोटे के अनुरूप लक्ष्य की पूर्ती नहीं की गई ।

निर्देश :- जिन संभागों के जिलों से बेसिक रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर की प्रतिभागिता नहीं हुई वहां से ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. को पुनः कारण बताओ सूचना देकर कि आपका यह कृत्व शिविल सेवा वर्गीकरण अधिनियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। अतः वर्ष 2013–14 के लक्ष्य की पूर्ती 2014–15 के लक्ष्यों के साथ रणनीति तैयार कर इस कार्यालय को भेजें ।

5. एडवांस रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2013– 14 प्रतिभागिता न होने के कारण निरस्त किया गया ।

निर्णय :- सामान्य एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले को 14 कब मास्टर के प्रतिभागिता हेतु कोटा दिया गया था तथा राशि सहायक राज्य संगठन आयुक्त को आवांठित की गई किन्तु राशि आवांठित करने के बावजूद भी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ती नहीं की गई , इस कार्यालय द्वारा कारणा बताओं नोटिस भी जारी की गई किन्तु सभी ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. द्वारा भूमक स्पष्टीकरण भेजे गये। पुनः वस्तु स्थिति से अवगत कराये तथा वर्ष 2014–15 में निर्धारित कोटे के अनुसार रणनीति तैयार करें। समय सीमा 25.4.2014,

कार्यवाही – एस.टी.सी./ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी.

6. बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर वर्ष 2013– 14 प्रतिभागिता की स्थिति :-

भोपाल संभाग – भोपाल 14, विदिशा 04, सीहोर 23, रायसेन 20, राजगढ़ 0

होशंगाबाद संभाग – होशंगाबाद 03, बैतूल 15, हरदा 05

इन्दौर संभाग – इन्दौर 13, धार 13, झाबुआ 0, खरगौन 04, बड़वानी 06, खंडवा 0, बुरहानपुर 0, अलीराजपुर 04,

उज्जैन संभाग – उज्जैन 04, शाजापुर 06, मंदसौर 0, नीमच 04, रतलाम 17, देवास 07

ग्वालियर संभाग – ग्वालियर 28, शिवपुरी 09, दतिया 02, गुना 03, अशोकनगर 03
 मुरैना संभाग – मुरैना 23, भिण्ड 09, श्योपुर 02
 सागर संभाग – सागर 08, पन्ना 13, दमोह 01, छतरपुर 20, टीकमगढ़ 26
 रीवा संभाग – रीवा 12, सतना 05, सीधी 02, सिंगरौली 08
 शहडोल संभाग – शहडोल 13, अनूपपुर 10, उमरिया 04, डिंडोरी 01
 जबलपुर संभाग—जबलपुर 02, कटनी 22, बालालघाट 03, सिवनी 10, मण्डला0, छिन्दवाडा 30,
 नरसिंहपुर 0

7. एडवांस स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर प्रतिभागिता वर्ष 2013 – 14 की जिलेवार प्रतिभागिता की स्थिति :-

भोपाल संभाग – भोपाल 02, विदिशा 06, सीहोर 06, रायसेन 01, राजगढ़ 0,
 होशंगाबाद संभाग – होशंगाबाद 01, बैतूल 02, हरदा 02,
 इन्दौर संभाग— इन्दौर 0, धार 01, झाबुआ 0, बड़वानी 0, बुरहानपुर 0, खरगोन0, अलीराजपुर 0,
 खण्डवा 0,
 उज्जैन संभाग – उज्जैन 0, नीमच 05, रतलाम 0, मंदसौर 0, शाजापुर 02, देवास 0,
 ग्वालियर संभाग – ग्वालियर 02, शिवपुरी 03, गुना 01, 03, अशोकनगर 0, दतिया 01
 मुरैना संभाग – मुरैना 03, श्योपुर 01, भिण्ड 07
 सागर संभाग – सागर 06, दमोह 04, पन्ना 04, छतरपुर 03, टीकमगढ़ 0
 रीवा संभाग – रीवा 02, सिंगरौली 02, सीधी 01, सतना 04
 शहडोल संभाग – शहडोल 06, अनूपपुर 05, उमरिया 01, डिंडोरी 0, अलीराजपुर 0— उज्जैन 0
 रतलाम 0, मंदसौर 0
 जबलपुर संभाग— जबलपुर— 01, कटनी 05, बालाघाट 09, सिवनी 03, मण्डला 03, छिन्दवाडा 08,
 नरसिंहपुर 0

निर्णय :-1 एडवांस रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर प्रतिभागिता नही होने के कारण कैम्प स्थिगत किया गया । बैठक में निर्देश दिये गये, कि 201-13 मे आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक जिले से 2 रोवर लीडर जिनके दल संचालित है व जिनक नियुक्त पत्र प्राप्त हो वर्ष 14-15 की रणनीति तैयार हों सम्मिलित कर प्रस्ताव भेजेगें। 28.4.2014, ।

2. सामान्य एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले को 24 स्काउट मास्टर के प्रतिभागिता हेतु कोटा दिया गया था तथा राशि सहायक राज्य संगठन आयुक्त को आवांठित की गई किन्तु राशि आवांठित करने के बावजूद भी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ती नही की गई , इस कार्यालय द्वारा कारणा बताओं नोटिस भी जारी की गई किन्तु सभी ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. द्वारा भ्रामक स्पष्टीकरण भेजे गयें। पुनः वस्तु स्थिति से अवगत करायें तथा वर्ष 2014-15 में निर्धारित कोटे के अनुसार रणनीति तैयार करें। समय सीमा 25.4.2014 ,

कार्यवाही कौन करेगा— ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी.

8. हिमालय वुड बैज प्रशिक्षण शिविर में निम्नानुसार प्रतिभागिता रही :-

छिन्दवाडा से 03 , छतरपुर 01, भिण्ड 01, शिवपुरी 02, शहडोल 03, जबलपुर 02

निर्णय – एडवांस स्काउट मास्टर जो पात्रता रखते हो के हिमालय वुड बैज कोर्स हेतु निर्धारित आवेदन फार्म भरवाकर समस्त पूर्तियां सहित आवेदन राज्य मुख्यालय 30 अप्रैल 2014 तक अनिवार्य रूप से भेजे ताकि उक्त आवेदन एनटीसी कार्यवाही हेतु भेजी जा सके ।

9. राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में जिलेवार प्रतिभागिता की स्थिति

क्र.	कोर्स का नाम	अवधि	स्थान	कोटा	प्रतिभागिता संख्या	कोटा आवंटित जिलें	प्रतिभागिता जिलें
1	बेसिक कब मास्टर कोर्स	23 से 29.4.2013	पचमढ़ी	04	04	इन्दौर, मुरैना,	इन्दौर, मुरैना
2	बेसिक रोवर लीडर कोर्स	23 से 29.4.2013	पचमढ़ी	04	05	भोपाल, इन्दौर	भोपाल, इन्दौर
3	एडवांस रोवर लीडर कोर्स	23 से 29.4.2013	पचमढ़ी	04	03	ग्वालियर, सागर, मुरैना, कटनी	सागर, कटनी
4	एडवांस कब मास्टर कोर्स	23 से 29.4.2013	पचमढ़ी	04	03	रायसेन, मुरैना,	वारंट न होने से

							निरस्त
5	प्री.ए.एल टी.कोर्स	23 से 27.4.2013	पचमढी	04	03	झाबुआ, सागर, होशं., छिन्दवाडा	सागर, होशं.,
6	बेसिक कमिश्नर कोर्स	23 से 27.4.2013	पचमढी	04	02	शाजापुर, उज्जैन, इन्दौर, जबलपुर,	शाजापुर, इन्दौर
7	हिमालया बुड बैज कोर्स	14 से 21.5.2013	पचमढी	08	12	शिवपुरी, जबलपुर, शहडोल, मुरैना, राजगढ, छिन्दवाडा, छतरपुर, भिण्ड, होशंगाबाद	छिन्दवाडा, छतरपुर, भिण्ड, राजगढ, शहडोल, जबलपुर, शिवपुरी
8	आर.ओ.टी.	10 से 14.5.2013	पचमढी	05	03	मुरैना, अलीराजपुर, सागर, इन्दौर, सिवनी, जबलपुर, झाबुआ, सतना	सतना, झाबुआ, भोपाल
9	एडवांस कमिश्नर कोर्स	22 से 26 मई 2013	पचमढी	08	01	इन्दौर, उज्जैन, सागर, मुरैना	धार
10	कम्युनिटी सिंगिंग कोर्स	07 से 13.6.2013	पचमढी	02	01	सीधी, सिंगरौली, धार, देवास, अलीराजपुर	देवास
11	एडवेंचर लीडर कोर्स	16 से 22.9.2013	पचमढी	03	02	डिंडौरी, छतरपुर, भिण्ड	छतरपुर, होशंगाबाद
12	समुदायिक सिंगिंग कोर्स	24 से 28.9.2013	दिल्ली	02	—	सागर, अलीराजपुर	—
13	क्षेत्रीय स्तरीय सामुदायिक विकास सेमीनार	09 से 13.7.2013	नागपुर	20	07	बैतूल, सिवनी, होशं. देवास, सागर, बालाघाट, गुना, ग्वालियर, सीधी, दतिया, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा	बैतूल, झाबुआ, होशं. बालाघाट, सिवनी, ग्वालियर
14	सचिव एवं संगठक कोर्स	1 से 05.10.2013	पचमढी	08	07	शिवपुरी, ग्वालियर, छतरपुर, सीधी, गुना, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, छिन्दवाडा	सीधी, अलीराजपुर, छतरपुर, गुना, भोपाल
15	प्रोफेशनल मनेजमेन्ट कोर्स	01 से 05 अक्टूबर 13	पचमढी	04	स्थगित		
16	हिमालय बुड बैज कोर्स	03 से 10 अक्टूबर 2013	पचमढी	08	—	छतरपुर, टिकमगढ, सिवनी, पन्ना, धार, खरगोन, होशं., राजगढ, ग्वालियर	छतरपुर, सागर, छिन्दवाडा, धार, आवेदन भेजे गये थे
17	पेट्रोल लीडर ट्रेनिंग कोर्स	06 से 10.10. 2013	पचमढी	04	—	उज्जैन, धार, देवास, सागर	—
18	रि.ओ.रि.ऑटेशन कोर्स	2 से 06.10.2013	पचमढी	08	06	मुरैना, अलीराजपुर, सागर, रीवा, भोपाल, सतना, सिवनी	मुरैना, सागर, सतना, भोपाल, रीवा, शहडोल,
19	मेपिंग कम स्टार गेजिंग	06 से 10.11. 2013	पचमढी	04	02	सतना, मुरैना, गुना, इन्दौर, देवास	मुरैना, देवास,
20	सिंगलिंग कम फस्टेर्ड कोर्स	17 से 21.11. 2013	पचमढी	04	—	शहडोल, सिवनी, नीमच, विदिशा	—
21	हैंड्री क्राफ्ट एवं वोकेशनल कोर्स	17 से 26.11. 2013	पचमढी	04	—	अलीराजपुर, गुना, मुरैना, विदिशा, होशं.	—
22	योगा ट्रेनिंग कोर्स	06 से 10.11. 2013	जम्मू	04	01	होशं. शिवपुरी, सागर, दतिया	सागर
23	पायनियरिंग एवं एस्टीमेशन कोर्स	17 से 21.11. 2013	पचमढी	04	—	देवास, सीधी, ग्वालियर	—

24	आर.ओ.टी.	1से 11.11.2013	गदपुरी	08	01		स्तना
25	प्री.ए.एल.टी	7 से 04 अक्टूबर 13	पचमढी			छतरपुर, मुरैना, रतलाम, धार, खरगोन, झाबुआ	छिन्दवाडा, पन्ना, झाबुआ, सागर
26	ए.एल.टी कोर्स	29.11.13 से 5. 12.13	पचमढी	03	—	इन्दौर, सिवनी, मुरैना	आवेदन भेजे गये
27	बैज प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण	17 से 21.11. 2013	पचमढी		—	जबलपुर, मुरैना, सतना, देवास, इन्दौर	मुरैना, जबलपुर
28	ट्रेनिंग कौंसलर	06 से 10.1.2014	पचमढी	08	03	झाबुआ, पन्ना, ग्वालियर, बैतूल, विदिशा, इन्दौर, भोपाल, सागर, शहडोल	मुरैना, इन्दौर, सागर
29	वार्डन कम क्वाटर मास्टर	06 से 10.1.2014	पचमढी	04	02	भोपाल, इन्दौर, देवास, सागर	सागर, इन्दौर
			योग — 147	68			

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में जिलेवार कोटा आवंटित किया गया था किन्तु निम्नलिखित जिले द्वारा प्रतिभागिता नहीं हुई— एडवांस रोवर लीडर में ग्वालियर, मुरैना । प्री.ए.एल.टी.कोर्स में —जबलपुर, उज्जैन —,हिमा.वि.बै.कोर्स में उज्जैन, इन्दौर, मुरैना, होशंगाबाद, —आर.ओ.टी.—मुरैना, सागर, इन्दौर, —सिवनी,जबलपुर,,एडवास कमिश्नर कोर्स — इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, —कम्युनिटी सिंगिंग कोर्स — सीधी, सिंगरौली, धार, अलीराजपुर —एडवेंचर लीडर कोर्स —सागर, अलीराजपुर —क्षेत्रीय स्तरीय सामुदायिक सेमीनार — सागर, गुना, सीधी दतिया, जबलपुर, विदिशा — आर.ओ.टी.— अलीराजपुर, सिवनी,—मेंपिंग कम स्टार गेजिंग— सतना, गुना इन्दौर — सिंगलिंग कम फरस्टेड अलीराजपुर, गुना, मुरैना, विदिशा, होशंगाबाद—योगा ट्रेनिंग—दतिया, शिवपुरी — पायनियरिंग एवं स्टीमेशन कोर्स — देवास, सीधी ग्वालियर —प्री.एल.टी.— छतरपुर, मुरैना, रतलाम, धार, खरगोन — वैज परीक्षक एवं प्रशिक्षण कोर्स —सतना, देवास, इन्दौर —ट्रेनिंग कौंसलर कोर्स — झाबुआ, पन्ना, भोपाल, ग्वालियर, शहडोल,—वार्डन कम क्वाटर मा.— भोपाल, देवास, उपरोक्त जिलों की राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में कोटा प्रदाय किये जाने के बाद प्रतिभागिता नहीं हुई और नहीं संबंधित ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. द्वारा ये अवगत कराया गया हमारे संभाग से प्रतिभागी संमलित नहीं होंगे अन्य संभाग से उक्त कोटा प्रदाय कर दिया जायें। उनकी इस उदासीनता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की प्रतिभागिता का ग्राफ गिरा ।

निर्देश — समीक्षा बैठक में सभी ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. को निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता का नहीं होना खेद जनक है जबकि आपके द्वारा लिखित पर कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु कोटे की मांग की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्टेट लेबल की बैठक में वयस्क प्रशिक्षणों की प्रतिभागिता का आकड़ें बहुत कम रहें तथा जो प्रदर्शन मध्य प्रदेश का होना चाहिये था वह नहीं था। वर्ष 2014—15 के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जिन संभाग व जिलों की प्रतिभागिता नहीं होगी उस संभाग के ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उनकी गोपनीय चरित्रावली में अंकित किया जावेगा।

कार्यवाही एस.टी.सी.

10. **वारंट** — संभाग के ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. को संभाग के अंतर्गत जिलों को वितरण हेतु तैयार वारंट प्रदाय किये गये। साथ ही प्रत्येक संभाग को 350 संख्या के मान से सामान्य सूचना प्रशि. शिविर प्रमाण पत्र दिये गये।
11. **प्रशिक्षण एवं अध्ययन कार्याशाला** — उपस्थित ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. द्वारा यह बात प्रकाश में लाई कि मा.वि./शा. के शिक्षक राशि के आभाव में उपस्थित नहीं हो पाते केवल उ.मा.वि.या हाई स्कूल से कुछ लोग ही उपस्थित होते हैं। जबकि यह प्रशिक्षण शिविर 5 दिन का होता है पाठ्य क्रम के अंतर्गत प्रश्नों को समझ के लिये केवल एक प्रश्न पर प्रतिदिन चर्चा होती है साथ

ही कम से कम प्रशिक्षक मण्डल में 5 प्रशिक्षक एक क्वार्टर मा.को राज्य मुख्यालय द्वारा यात्रा देयक का भुगतान भी करना पड़ता है इस संबंध में ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. ने अपना मत रखा की एडवांस प्रशिक्षण के समाप्ति के दिन प्रश्नों से संबंधित पुस्तके स्काउटिंग फॉर ब्याज, एड्स टू स्काउट मा.,ट्रूफ स्काउटर ,गाइडर की पुस्तके उन्हे दे दी जाये तो वें प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय –सीमा के अंदर भेज सकते है ।

निर्णय : – प्रशिक्षण अध्ययन कार्याशाला के संबंध में ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. के मतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में प्रशिक्षण अध्ययन कार्याशाला राज्य स्तर पर आयोजित नही कि जायें इससे जहा एक ओर विद्यालयों कि राशि बचत होगी वही दूसरी ओर प्राथ.व माध्य. विद्यालय के शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे।

कार्यावाही एस.टी.सी./ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी.

3. वयस्क प्रशिक्षण (गाइड) :-

1- गत बैठक का पालन प्रतिवेदन – बैठक मे सर्व प्रथम दिनांक 20/11/13 से 01/12/13 तक आयोजित समीक्षा बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

क्र	बिन्दु	कार्यवाही
1	प्रोजेक्ट के शिविरों मे सामान्य व अन्य विभाग से सशुल्क प्रतिभागिता करावे	अनु.जाति व आ.वि.के प्रतिभागी सम्मिलित नही हुये।
2	कोटा अनुसार लक्ष्य पूर्ति करें।	मुरैना से रेंजर, ग्वालियर से गाइड, रेंजर, होशंगाबाद से बुलबुल, इन्दौर से सभी विभाग, जबलपुर रेंजर, रीवा सभी विभाग, उज्जैन सभी विभाग मे 50 प्रतिशत से कम प्रतिभागिता रही।
3	पात्रतानुसार एडवांस शिविर मे प्रतिभागिता करावें।	गाइडर्स मे से सागर, गुना, कटनी, सतना, रीवा, शिवपुरी, भिण्ड, विदिशा, छिन्दवाडा, होशंगाबाद, उज्जैन, से मात्र 16 गाइडर्स सम्मिलित हुई।
4	अपात्र प्रतिभागियों के सम्मिलित होने पर उनके मार्ग व्यय व शिविर शुल्क की जिम्मेदारी संबंधित ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. की होगी।	श्योपुर 1, रायसेन 1, ग्वालियर 1, बालाघाट 2, गुना 1, धार 1, पन्ना 1, सिवनी 2, भिण्ड 2 कुल 12 गाइडर्स के चार्टर वारंट व दल संचालन की पात्रता पूर्ण नही थी।

2- विगत दो वर्षों का तुलनात्मक प्रगति प्रशिक्षण –

सत्र 2012 से 2014 तक 02 वर्षों का संभागवार तुलनात्मक स्थिति बतायी गयी, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है :-

- 1- भोपाल संभाग मे गत वर्ष बेसिक गाइड केप्टीन मे प्रतिभागिता निरंक रही है एवं राजगढ जिले की 02 वर्षों से प्रतिभागिता निरंक है, एडवांस प्रशिक्षण शिविरों मे सीहोर, राजगढ की प्रतिभागिता निरंक है।
- 2- चंबल संभाग मे बेसिक रेंजर लीडर एवं एडवांस मे मुरैना व श्योपुर की सभी विभागों मे प्रतिभागिता निरंक है।
- 3- ग्वालियर संभाग मे गत वर्ष ग्वालियर जिला छोडकर सभी की प्रतिभागिता निरंक थी, जिसे इस सत्र मे पूर्ण करने का प्रयास किया, रेंजर लीडर मे प्रतिभागिता निरंक रही। एडवांस प्रशिक्षण शिविर मे अपेक्षित पूर्ति नही है।
- 4- होशंगाबाद संभाग मे बेसिक व एडवांस कोर्स मे हरदा को छोडकर स्थिति नगण्य है। इस संबंध मे विशेष प्रयास व रणनीति की आवश्यकता है।
- 5- इन्दौर संभाग मे गत वर्ष मे बडवानी, खंडवा द्वारा प्रयास किये गये, किन्तु इस सत्र मे स्थिति

- अत्यंत दयनीय है। विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
- 6— जबलपुर संभाग में मंडला, नरसिंहपुर की स्थिति नगण्य है, शेष ने प्रयास संतोषप्रद है, आगे पूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।
 - 7— रीवा संभाग में बेसिक व एडवांस शिविरों में प्रतिभागिता नगण्य है। रेंजर विभाग निरंक है, विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
 - 8— शहडोल संभाग में मात्र गाइड केप्टीन बेसिक शिविर में अनुपपुर की प्रतिभागिता रही शेष निरंक रहे।
 - 9— सागर संभाग में बुलबुल विभाग की प्रतिभागिता एवं दमोह जिले की सभी शिविरों में प्रतिभागिता निरंक है।
 - 10— उज्जैन संभाग की बेसिक व एडवांस शिविर में प्रतिभागिता निरंक है, विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

3— राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रोजेक्ट अर्न्तगत प्रतिभागिता :-

- 1 **बेसिक फ्लाक लीडर** में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, मुरैना, शिवपुरी, होशंगाबाद संभाग, इन्दौर संभाग, मंडला, सीधी, शहडोल संभाग, सागर संभाग, रतलाम, शाजापुर छोड़कर उज्जैन संभाग की प्रतिभागिता नहीं रही है।
- 2 **बेसिक गाइड केप्टीन** में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, शिवपुरी, कटनी, मंडला, रीवा तथा उज्जैन संभाग से प्रतिभागिता निरंक रही है।
- 3 **एडवांस गाइड केप्टीन/फ्लाक लीडर** शिविरों में सभी संभाग से अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की। इस संबंध में सभी को अपने-अपने संभाग में बैठकर अगामी कार्य योजना व सुझाव हेतु कहा गया जिसके आधार पर निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- 4 **प्रस्ताव -**
 - 1— बेसिक गाइड केप्टीन/फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर ऐसे स्थानों पर भी कराये जाने की अनुमति दी जावे, जहाँ पर शिविर हेतु पर्याप्त भौतिक व्यवस्था हो।
 - 2— संभाग स्तर पर एडवांस गाइड केप्टीन प्रशिक्षण शिविर की अनुमति दी जावे।
 - 3— समय पर वारंट प्राप्त हो।

4— निर्देश :-

- 1— निर्धारित कोटा व लक्ष्य के अनुसार शिविर में प्रतिभागिता अनिवार्य रूप से हो।
- 2— सामान्य सूचना शिविर माह जुलाई 14 में आयोजित कर 15 दिवस में प्रतिवेदन मय प्रमाण पत्र के साथ भेजकर बेसिक प्रशिक्षण शिविर के पूर्व प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
- 3— बेसिक प्रशिक्षण शिविर के प्रस्ताव एवं सहमति प्राप्त स्काउटर/गाइडर की सूची के साथ 30 अप्रैल 14 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
- 4— सभी प्रशिक्षण शिविरों में सामान्य, अनुजाति व आदि0वि0वि0 से भी प्रतिभागियों को सम्मिलित करावे, जिन्हे नियमानुसार शिविर में शुल्क जमा करना होगा।
- 5— सभी प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण केन्द्रों पर पूर्ण आवासीय आयोजित किये जावें
- 6— वारंट व चार्टर प्राप्त स्काउटर्स/गाइडर्स के आवेदन 15 अगस्त 14 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें, एडवांस प्रशिक्षण शिविर हेतु संलग्न पात्रता फार्म के साथ प्रेषित करें, ताकि पर्याप्त संख्या होने पर संभाग स्तर पर ही शिविर आयोजित हो सकें।
- 7— जिनकी पात्रता पूर्ण नहीं है, ऐसे प्रतिभागियों के सम्मिलित होने पर उनका शिविर व मार्ग व्यय हेतु संबंधित ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. जिम्मेदार होंगे।
- 8— बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त स्काउटर्स/गाइडर्स के दल की विजिट करें एवं वारंट के आवेदन 30 जुलाई 14 तक प्रेषित करें।

एस0टी0सी0(गा0)/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0

4-साज-सज्जा :-

(1) भण्डार-साज-सज्जा शाखा की विभिन्न मदों लम्बित बकाया राशि का विवरण :-

(दि.20.03.2014 की स्थिति में)

संभाग	स्टीकर की शेष	डायरी-कैलेन्डर की शेष राशि	स्का./गा. सामग्री की बकाया राशि	कुल शेष राशि
जबलपुर	288608.00	40800.00	526400.00	855808.00
इंदौर	301253.00	31675.00	864407.00	1197335.00
उज्जैन	155028.00	78481.00	752197.00	985706.00
ग्वालियर	170819.00	68350.00	585652.00	824821.00
सागर	287310.00	38450.00	1129826.00	1455586.00
भोपाल	75374.00	128104.00	286495.00	489973.00
रीवा	283276.00	36410.00	482270.00	801956.00
होशंगाबाद	142938.00	1950.00	50921.00	195809.00
मुरैना	114002.00	7950.00	33846.00	155798.00
शहडोल	45618.00	50235.00	183077.00	278930.00
कुल राशि	1864226.00	482405.00	4895091.00	7241722.00

(2) स्टीकर/डायरी-कैलेन्डर एवं सामग्री की बकाया राशि के संबंध में दिए गए निर्देश-

- 1 उपरोक्तानुसार स्टीकर/डायरी-कैलेन्डर एवं सामग्री की बकाया राशि 30 जून-14 तक आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए गए ।
2. पूर्व वर्षों से लम्बित स्टीकर एवं सामग्री की लम्बित राशि के समायोजन हेतु कार्यालय पत्र क्रं. 7271 दि. 20.3.14 से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जावेगी। सभी आवश्यक अभिलेख तैयार कर रखने हेतु निर्देश दिए गए। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर 15.4.14 तक आवश्यक रूप से अवगत करावें ।
3. कैलेन्डर/डायरी की लम्बित राशि 30 जून-14 तक अनिवार्यतः प्रेषित की जावे एवं समीक्षा बैठक में चर्चा अनुसार प्रत्येक डी.ओ.सी./ए.एस.ओ.सी. को 25-25 नग डायरी-कैलेन्डर ट्रांसपोर्ट से भेजे जा रहे है जिसके विक्रय 5 प्रति. प्रोत्साहन राशि दी जावेगी ।
- 3 स्काउट-गाइड सामग्री की शेष राशि वसूली 30 जून-14 तक भेजने हेतु प्रयास किए जावे ।
4. दिनांक 31.3.14 की स्थिति में कार्यालय पत्र क्रमांक 7096 दिनांक 10.3.14 से दिए गए कार्यक्रम अनुसार समस्त जिला शाप का नियुक्त सत्यापनकर्ता अधिकारी सत्यापन कर दि. 15.4.14 तक सत्यापन रिपोर्ट अनिवार्यतः भेजे ।

- 4 वर्ष 2014-15 में विक्रय की जाने वाली सामग्री की सूची आवश्यक रूप से 30 जून-14 तक रा.मु. को प्रेषित की जावे सामग्री की व्यवस्था की जाकर क्षेत्रीय कार्यालय मांग अनुसार भेजी जा सके।
5. वर्ष 2014-15 में विक्रय भण्डार को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति एवं संभाग स्तर पर आयोजित शिविरों में मोबाईल शाप आवश्यक रूप से संचालित की जावे। कृत कार्यवाही से राज्य मुख्यालय को 30 जून-14 तक अवगत करावे।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/समस्त ए.एस.ओ.सी.

(3) जिला संगठकों पर बकाया स्काउट-गाइड सामग्री की राशि के संबंध में -

दिनांक 20.3.14 की स्थिति में ।

क्र.	डी.ओ.सी.	कुल शेष राशि	क्र.	डी.ओ.सी.	कुल शेष राशि
1	डी.ओ.सी.अलीराजपुर श्री गणेश श्रीवास्तव	67219.00	16	डी.ओ.सी.विदिशा श्रीमती अनिता सोनवाने	86131.00
2	डी.ओ.सी.भोपाल श्री राजेश मेवाडे	122860.00	17	रामेश्वर दयाल सेन	151594.00
3	डी.ओ.सी.कटनी श्री ललित मिश्रा	46251.00	18	डी.ओ.सी. सिवनी श्री उमेश श्रीवास्तव	93565.00
4	डी.ओ.सी.सीहोर श्री गजराज सिंह	119264.00	19	डी.ओ.सी शिवपुरी	55794.00
5	डी.ओ.सी.पन्ना श्री अनिल सोनी	59436.00	20	डी.ओ.सी. उमरिया श्री बी.एल.चौरे	68225.00
6	डी.ओ.सी.मुरैना श्री वीर सिंह यादव	78057.00	21	जिला सचिव बडवानी	181.00
7	डी.ओ.सी.रायसेन श्री सुशील बिल्लौरे	1044573.00	22	डी.ओ.सी.बालाघाट श्री इनेन्द्र डहरवाल	91640.00
8	डी.ओ.सी.सिवनी श्री रघुवीर सिंह ठाकुर	19155.00	23	डी.ओ.सी.धार श्री सुशील कुशवाह	0.00
9	डी.ओ.सी.सीधी श्री विश्वनाथ मिश्रा	35751.00	24	डी.ओ.सी.ग्वालियर श्री शंकर सिंह इक्टोरिया	126165.00
10	डी.ओ.सी.श्यापुर श्री ओमप्रकाश सिकरवार	95009.00	25	डी.ओ.सी.दतिया श्री श्रद्धा सिंह	26540.00
11	डी.ओ.सी.छिन्दवाडा श्री नरेन्द्र शर्मा	140969.00	26	प्रभारी ट्रेनिंग सेन्टर जामठी श्री उमेश श्रीवास्तव	98672.00
12	डी.ओ.सी.गुना श्री ललित मिश्रा	37049.00	27	डी.ओ.सी. रतलाम	48610.00
13	डी.ओ.सी.उज्जैन मनोज पटेल	1111.00	28	जिला सचिव, डिन्डोरी	61280.00
14	डी.ओ.सी.अशोक नगर श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप	26901.00	29	श्री अखिलेश सक्सेना गांधीनगर शाप	44838.00
15	डी.ओ.सी.भिण्ड श्री अतिबल सिंह	119222.00	30	श्री जे.के.नामदेव शहडोल	26548.00
				योग -	3011525-00

निर्देश :-

1. उपरोक्तानुसार स्काउट-गाइड सामग्री की शेष राशि 30 जून-14 तक भेजने हेतु प्रयास किए जावे । 30 जून-2014 तक लम्बित राशि के संबंध में निराकरण नहीं किया गया तो संबंधित जिला संगठक से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
2. भण्डार को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में दिए गए 13 बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही कर रा. मु. को अवगत कराया जावे ।
3. स्काउट-गाइड सामग्री विक्रय हेतु वर्ष 2014-15 की लक्ष्य की पूर्ति की जाना आवश्यक है जिले में अनाधिकृत से चल रही स्काउट-गाइड सामग्री की शाप के संबंध में कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक निर्देश एवं परिपत्र जारी करवाए । कृत कार्यवाही से 30 जून-2014 तक राज्य मुख्यालय को अवगत करावे।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/समस्त ए.एस.ओ.सी./डी0ओ0सी0

(4). स्काउट-गाइड सामग्री विक्रय लक्ष्य संबंधी -

प्रस्ताव	लक्ष्य	कार्यवाही
बैठक में चर्चा अनुसार सामग्री विक्रय लक्ष्य के संबंध में नवीन व्यवस्था अनुसार संभागवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।	प्रत्येक संभाग/जिला का लक्ष्य प्रति जिला 03 लाख होगा जिसमें डी.ओ.सी. का लक्ष्य भी सम्मिलित किया गया है संभागवार लक्ष्य का निर्धारण निम्नानुसार है :- भोपाल-15 लाख, होशांगाबाद-09 लाख, शहडोल-12 लाख, रीवा-12 लाख, सागर-15 लाख, जबलपुर-21 लाख, उज्जैन-18 लाख, इंदौर-24 लाख, ग्वालियर-15 लाख, मुरैना, 09 लाख	ए.एस.ओ.सी. /डी.ओ.सी.

निर्देश :- उपरोक्तानुसार संबंधित संभाग के अंतर्गत जिलों हेतु वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति हेतु अभी से रणनीति तैयार कर , पूरे वर्ष का संभावित मांग पत्र दि. 30 जून-2014 तक रा.मु. भेजा जावे ।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/ ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी.

(5). स्काउट-गाइड सामग्री विक्रय हेतु मोबाईल शाप संचालन संबंधी दिए गए निर्देश -

जिले एवं संभाग में आयोजित प्रत्येक शिविर में शिविरार्थियों की आवश्यकता अनुसार सामग्री की पूर्ति हेतु मोबाईल शाप का संचालन किया जाना आवश्यक है। अतः समीक्षा बैठक में दिए निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कर 30 जून-14 तक राज्य मुख्यालय को अवगत करावे, अगर कोई समस्या हो या सामग्री की कमी हो तो तत्काल सूचित करें।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी0ओ0सी0

(6) स्काउट-गाइड सामग्री 31 मार्च-2014 की स्थिति में भौतिक सत्यापन संबंधी -

कार्यालय पत्र क्र. 7096 दि. 10.3.13 से निर्धारित कार्यक्रम एवं नियुक्त सत्यापनकर्ता अधिकारी से भौतिक सत्यापन करवाकर सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 15.4.14 तक आवश्यक रूप से रा. मु. भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही-साज-सज्जा कक्ष/ए.एस.ओ.सी./डी0ओ0सी0

(7) प्रत्येक जिले में भंडार की सामग्री का विक्रय अनिवार्य :-

समस्त ए.एस.ओ.सी. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिले में भण्डार शाप संचालित हो और अधिक से अधिक सामग्री की विक्री की जावे।

निर्देश :-

1. निर्धारित विक्रय लक्ष्य की पूर्ति की जानकारी मासिक कार्यपालन प्रतिवेदन के साथ भेजे।
12. भण्डार के लेखाओं का मिलान प्रत्येक तीन में माह में किया जावे ।
2. प्रत्येक तीन माह में सामग्री विक्रय का विवरण पत्रक रा.मु. को भेजा जावे ।
3. वर्ष 2014-15 में सामग्री विक्रय का लक्ष्य 03 लाख रु. प्रति जिला एवं संभाग निर्धारित

4. किया गया है। इसकी पूर्ति हेतु सामग्री का मांग पत्र अग्रिम राशि के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे ताकि राज्य मुख्यालय द्वारा सामग्री की पूर्व व्यवस्था की जा सके। अधिक विक्रय करने वाले पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जावेगा।
13. संभाग अंतर्गत पदस्थ डी.ओ.सी. पर सामग्री विक्रय तथा सामग्री राशि समय-सीमा में प्रेषण पर ए.एस.ओ.सी. नियंत्रण रखे एवं समय-समय पर राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जावे। ए.एस.ओ.सी. भी स्वयं विक्रय करना तथा प्रत्येक शिविर में शाप अनिवार्य रूप से जाएगी।
6. संभाग जिले में आयोजित शिविरों में सामग्री विक्रय हेतु मोबाईल शाप संचालित की जावे ताकि सामग्री की आपूर्ति हो सके।
7. जो जिला संभाग निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त 50 प्रतिशत का अधिक विक्रय करेगा तो उसे प्रोत्साहित किया जावेगा।
8. विक्रय लक्ष्य में शासन की योजना अंतर्गत विक्रय सामग्री की राशि नहीं जोड़ी जावेगी।
9. सामग्री विक्रय करते समय प्रत्येक दल ने साहित्य का भी विक्रय करना है।
10. सामग्री की मांग की जानकारी पूर्व से लिखित में भेजी जावे।

कार्यवाही—साज—सज्जा कक्ष / ए.एस.ओ.सी. / डी0ओ0सी0

5 **पंजीयन कक्ष :-**

1. पंजीयन से संबंधित संभागवार लक्ष्य एवं पूर्ति से संबंधित जानकारी प्रेजेंटेशन द्वारा दिखाई गई जिसमें सभी ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. द्वारा कहा गया कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया लक्ष्य स्कूलों के अनुपात में अधिक है जिस पर पंजीयन कक्ष प्रभारी अधिकारी, पंजीयनकक्ष प्रभारी द्वारा बताया गया कि उक्त लक्ष्य में आर.एस.के. का लक्ष्य भी सम्मिलित है। इस पर सभी डी.ओ.सी./ए.एस.ओ.सी. द्वारा कहा गया कि उक्त लक्ष्य में आर.एस.के. का लक्ष्य सम्मिलित नहीं किया जावे उल्लेखित लक्ष्य को देखने पर भ्रामक स्थिति निर्मित होती है। जिससे वास्तविक लक्ष्य के आधार पर कार्य करने में सुलभता होगी। अतः बैठक में उपस्थिति संयुक्त राज्य सचिव एवं सभी उपस्थिति संगठन के अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। **समय सीमा अप्रैल 2014**

कार्यवाही पंजीयन कक्ष / ए.एस.ओ.सी. / डी0ओ0सी0

2. राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा आडिट पार्टी आडिट के दौरान संभाग/जिलों से पंजीयन राशि प्राप्त की जाती है उसे लक्ष्य में पूर्ति के रूप राज्य मुख्यालय भोपाल सम्मिलित नहीं करता है, अतः उसे सम्मिलित किया जावे। चूंकी इस राशि का सेंसस ज्ञात नहीं होने के कारण इसको कुल पंजीयन बकाया राशि से तब तक नहीं घटाया जावेगा जब तक संबंधित जिला/संभाग सेंसस की जानकारी राज्य मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
3. वर्ष 2014-15 का पंजीयन का लक्ष्य का निर्धारण ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. एवं राज्य मुख्यालय के अधिकारियों के विचार विमर्श से किया जाना चाहिये ऐसा सभी डी.ओ.सी./ए.एस.ओ.सी. द्वारा कहा गया जिसके क्रम में सभी डी.ओ.सी./ए.एस.ओ.सी. के ग्रुप बनाकर डिसकस किया गया और वर्ष 2014-15 का पंजीयन का लक्ष्य स्कूलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एवं आर.एस.के. के लक्ष्य को सम्मिलित न करते हुए बनाया जावे जिस पर भी की सम्मति व्यक्त की गई। **समय सीमा अप्रैल 2014।**

कार्यवाही पंजीयन कक्ष / ए.एस.ओ.सी. / डी0ओ0सी0

4. प्रतिवर्ष पंजीयन राशि एक वर्ष पूर्व की भेजी जाती है जिसके आधार पर ग्रीडिंग का आंकलन किया जाता है एवं वर्तमान सत्र की पंजीयन राशि पिछड़ जाती है जिस पर यह प्रस्ताव रखा गया कि पूर्व वर्ष की पंजीयन राशि के साथ-साथ वर्तमान की भी पंजीयन राशि भेजने हेतु प्रयास करने हेतु प्रस्ताव रखा गया साथ ही यह कहा गया कि जो ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. यह उक्त कार्य करता है उसे ग्रीडिंग में बोनस मार्क दिये जावेगें जिस पर सभी ने एक मत से प्रस्ताव दिया है।
5. कि शासकीय/अशासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आधार पर वर्ष 2013-14 का लक्ष्य का पुनः निर्धारण किया जावे एवं 5 प्रतिशत अंशदान का पृथक से निर्धारण हो। **समय सीमा जून 2014।**

कार्यवाही पंजीयन कक्ष / ए.एस.ओ.सी. / डी0ओ0सी0

निर्देश :-

1. उपरोक्त बिन्दु के अनुसार समस्त जानकारी 15 अप्रैल 2014 तक भेजी जाने के निर्देश दिये गये है
2. अधिकांश ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी द्वारा लक्ष्य अनुरूप पंजीयन राशि एवं गणना पत्रक नही भेजे गये हैं जिन्हें 15 जून 14 तक अनिवार्य भेजने हेतु निर्देश दिये गये है ।
3. विगत वर्षों में आडिट द्वारा वसूल की गई पंजीयन राशि की सेंसस/विवरण प्राप्त होने पर पंजीयन राशि जिला/संभाग द्वारा जो लंबित है यदि जानकारी भेजी प्राप्त होती है तो उसे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

कार्यवाही पंजीयन कक्ष / ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी

6. जिला/ब्लाक संघ / वारंट / चार्टर :-

- 1 चार्टर :- ए0एस0ओ0सी0 द्वारा समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि संभाग से चार्टर जारी किये जा रहे है ।

निर्णय – समस्त ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 को निर्देश दिये गये कि जिन विद्यालयों में युवा एडवांसमेन्ट हो रहा है उन दलों के चार्टर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जारी कर राज्य मुख्यालय को सूची भेजे ।

एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

- 2 वारंट :- सभी ए0एस0ओ0सी0 द्वारा जानकारी दी गई कि वारंट हेतु आवेदन फार्म राज्य मुख्यालय भेजे जा रहें है ।

निर्णय – जिले व संभाग में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त सभी विभाग के स्काउटर-गाइडर से वारंट फार्म प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे ।

एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

- 3 जिला संघ :-1. जिला बैतूल शिक्षा विभाग व आदि.विकास, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ, अलीराजपुर, राजगढ, मन्दसौर नीमच, धार, शाजापुर, का निर्वाचन होना शेष है
2. सत्र 2014 में जिन जिलों की समावधि समाप्त हो रही है । वे जिले रतलाम, देवास, दतिया, सीधी, शहडोल, डिडौरी, मण्डला, हरदा, गुना है । जानकारी से अवगत कराया गया ।

निर्णय – माह जुलाई 2014 तक जिला संघों के निर्वाचन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये

एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

14. ब्लाक संघ :-जिला भोपाल के विकास खण्ड फन्दा, जिला रायसेन के विकास खण्ड ओबेदुल्लागंज, विदिशा जिले के विकास खण बासौदा, इन्दौर जिले के वि0ख0 महु, खरगौन जिले के वि0ख0 गोगांवा, बडवानी जिले के वि0ख0 ठीकरी, उज्जैन जिले के सभी विकास खण्ड, मन्दसौर जिले के वि0ख0 मन्दसौर, रतलाम जिले के वि0ख0 रतलाम, देवास जिले के वि0ख0 देवास, टोकखुर्द, सागर जिले के वि0ख0 सागर, दमोह जिले का वि0ख0 दमोह, पन्ना जिले का वि0ख0 पन्ना, ग्वालियर जिले के वि0ख0 मुरार, घाटीगाव, भीतरवार, जिले गुना के सभी वि0ख0, दतिया जिले के वि0ख0 सेवडा, अशोकनगर जिले के विकास खण्ड मुगांवली, रीवा जिले के वि0ख0 रीवा, सतना जिले के वि0ख0 मझगांव, उचेहेरा, रामनगर, जबलपुर जिले के वि0ख0 कुण्डम, छिंदवाडा जिले के सभी वि0ख0, बालाघाट जिले के वि0ख0 किरनापुर, मुरैना जिले के वि0ख0 पहाडगंज, कोलारस को छोडकर शेष सभी वि0ख0 निर्वाचित, भिण्ड जिले के वि0ख0 मिहोना में निर्वाचित ।

निर्णय – शेष वि0खण्डों में 15 मई 14 तक तदर्थ समिति गठन करने के निर्देश दिये गये है ।

एस0ओ0सी / ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0

7. पत्रिका कक्ष

- निर्देश :-1. बालचर रवि पत्रिका सदस्यता की संभागवार/जिलेवार वार्षिक लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा की गई जिसमें सदस्यता वृद्धि हेतु 200 वार्षिक एवं 20 आजीवन सदस्य बनाने के निदेश दिये गये।
- पुराने रसीद बुक जमा करने हेतु निर्देश दिये गये।
 - बालचर रवि पत्रिका हेतु प्रतिमाह 1000 रूपये तक के विज्ञापन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये एवं माह अगस्त-13, सितम्बर-13 व जनवरी 14 में प्राप्त विज्ञापन की शेष राशि शीघ्र कार्यालय में जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये।
 - पत्रिका में प्रकाशन हेतु प्रतिमाह प्रकाशन सामग्री, न्यूज व फोटो ग्राफ भेजने प्रत्येक माह की 20 तारीख तक भेजने के निर्देश दिये गये जिनके लिये निम्न मापदण्ड निर्धारित है –
 - फोटो की क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए।
 - फोटो में कैप्सन पूर्ण व स्पष्ट होने चाहिए।
 - समाचारों में वास्तविक जानकारी हो तथा नामों की अधिकता न हो।
 - कार्यक्रम/शिविरों में संचालित गतिविधियों की जानकारी पूर्ण होनी चाहिए।
 - समाचार एवं फोटो ग्राफ या किसी भी प्रकार की प्रकाशन सामग्री को भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की ई-मेल आई.डी. **bsgmadhyapradesh@gmail.com** पर भेजे साथ ही मेल भेजने के 15-20 मिनट पश्चात् कार्यालय के दूरभाष पर फोन लगाकर उक्त सामग्री प्राप्ति को सुनिश्चित करें।
 - पत्रिका हेतु समाचार सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी या टाइप किया हुआ
 - 20 तारीख के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाशन सामग्री पर विचार नहीं किया जावेगा।

पत्रिका कक्ष/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0

7. लेखा कक्ष :-

- असमायोजित अग्रिम :-** पूर्व में ए.एस.ओ.सी.'डी.ओ.सी. पर लंबित अग्रिम की सूचना मुख्यालयीन पत्र के द्वारा सूचित की गई थी पुनः सभी पर लंबित अग्रिम की स्थिति नामवार दर्शित कर सूचित की गई।

निर्देश :-लंबित अग्रिम की दी गई जानकारी के आधार पर समीक्षा करें एवं यदि समायोजन की कार्यवाही की गई है तो कार्यालय का पत्र क्रमांक दिनांक का संदर्भ देते हुए मुख्यालय को 15 अप्रैल 14 तक अवगत कराने के निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये हैं।

लेखा कक्ष/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0

- भण्डार क्रय नियम :-** समीक्षा के दौरान भण्डार क्रय नियमों की जानकारी दी गई। जिसमें भण्डार का क्रय, भण्डार की प्राप्ति, भण्डार का प्रदान निष्प्रयोज्य सामग्री का निर्वतन एवं भौतिक सत्यापन पर चर्चा की गई।

निर्देश :-चर्चा में दिये गये निर्देश अनुसार 31 मार्च 14 की स्थिति में भण्डार का भौतिक सत्यापन कर भौतिक सत्यापन के परिणाम भण्डार पंजी में दर्ज कर हस्ताक्षर करें।

लेखा कक्ष/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0

- पंजीयन शुल्क :-**शालाओं से प्राप्त की जाने वाली पंजीयन की शुल्क पर चर्चा की गई।

निर्देश :-निर्धारित शुल्क का आकलन करके वसूली की कार्यवाही व निर्धारित अंश में संभागीय

कार्यालय एवं मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें । इस कार्यवाही को मासिक जानकारी में सम्मिलित करें ।

लेखा कक्ष/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0

- 5 **अंकेक्षण :-** जिला संघ एवं संभागीय कार्यालयों का अंकेक्षण समय समय पर किया गया है परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन पर महत्व न देकर के लंबित कण्डिकाओं के निराकरण की स्थिति समस्त को सूचित की गई ।

निर्देश :- कार्यालय में अंकेक्षण पंजी संघारित की जाये जिसमें अंकेक्षण अवधि की कुल कण्डिकाए एवं पालन प्रतिवेदन तथा निराकृत लंबित कण्डिकाओं की जानकारी दर्ज की जावें एवं कण्डिका के निराकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जावे ।

लेखा कक्ष/ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/4 /2014

पृ0क्र0/7532/रामु/वार्षिक समीक्षा बैठक/2013-14

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-

1. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
5. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
6. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) संभाग/जिला मुख्यालय(म0प्र0) की ओर भेजकर निर्देश है कि उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार आवश्यक जानकारी/पालन प्रतिवेदन भेजे ।
7. समस्त शाखा प्रभारीराज्य मुख्यालय भोपाल ।



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश